भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1333

जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

1333. श्री कृष्णपालसिंह यादव:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. सुजय विखे पाटीलः

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़े कॉरपोरेट की परियोजनाओं और इकाइयों को भूजल निकासी के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) उक्त ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, जिनकी मियाद समाप्त हो चुकी है, भूजल निकालने वाली परियोजनाओं और इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना निष्कर्षण के लिए लागू दंड, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का देश में भूजल के कानूनी और अवैध निष्कर्षण को विनियमित करने के लिए एक समर्पित भूजल निष्कर्षण नीति शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने उनके द्वारा विनियमित 19 राज्यों में पिछले 5 वर्षों (01.01.2018-31.12.2022) के दौरान 10,000 लीटर प्रतिदिन और उससे अधिक भूमिगत जल निष्कषर्ण करने वाले उद्योगों/इकाइयों को भूजल निष्कर्षण के लिए 12,650 अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए गए हैं। जिसकी राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): सीजीडब्ल्यूए द्वारा अनुरक्षित एनओसी पोर्टल (एनओसीएपी) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1,133 उद्योगों/परियोजना प्रस्तावकों (10,000 लीटर प्रतिदिन और उससे अधिक भूजल निकालने वाले) के लिए एनओसी नवीकरण देय है।

(ग): मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 24 सितंबर 2020 के भूजल विनियमन और नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुसार, उचित प्राधिकरण से वैध एनओसी के बिना उद्योगों, अवसंरचना इकाइयों और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल का निष्कर्षण अवैध माना जाएगा और ऐसी संस्थाएं पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी। ये दिशानिर्देश निम्नलिखित URL पर उपलब्ध हैं: https://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/CGWA_GWExtraction_Notification_24-09-2020.pdf

(घ): मंत्रालय ने उद्योगों, अवसंरचना और खनन परियोजनाओं द्वारा अखिल भारतीय प्रयोज्यता के साथ भूजल के विनियमन और नियंत्रण के लिए दिनांक 24 सितंबर, 2020 के दिशा-निर्देश पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। ये दिशानिर्देश भूजल स्थिरता से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करने वाला एक विस्तृत नीति दस्तावेज है जैसे कि उपचारित सीवेज जल का उपयोग, नवीनतम जल कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग, भविष्य के उपयोग को कम करने के लिए वार्षिक जल लेखा परीक्षा, एक निश्चित सीमा से अधिक निष्कर्षण के लिए प्रभाव आकलन, परिसर में छत पर वर्षा जल संचयन को अपनाना, फसल रोटेशन/विविधीकरण में काम करना, कृषि क्षेत्र आदि में उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण आदि लाना आदि। इसके अलावा, इन दिशानिर्देश में भूजल के निष्कर्षण के लिए जल निकासी/पुनर्भरण चार्ज प्रभार, दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड, अवैध जल निष्कर्षण के लिए पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति आदि का प्रावधान है।

*****

अनुलग्नक-।

"भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र" के संबंध में दिनांक 09.02.2023 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1333 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीजीडब्ल्यूए द्वारा बड़ी कंपनियों सहित उद्योगों/परियोजना प्रस्तावकों को जारी किए गए एनओसी पत्रों की राज्य-वार संख्या।

क्र.सं.	**राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	**एनओसी जारी**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31
2	अरुणाचल प्रदेश	17
3	असम	579
4	बिहार	419
5	छत्तीसगढ़	1622
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	265
7	गुजरात	2625
8	झारखंड	371
9	मध्य प्रदेश	453
10	महाराष्ट्र	1390
11	मणिपुर	2
12	मेघालय	27
13	मिजोरम	0
14	नागालैंड	6
15	ओडिशा	1814
16	राजस्थान	2179
17	सिक्किम	29
18	त्रिपुरा	36
19	उत्तराखंड	785
	कुल	**12650**

*****